376

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग–3
संख्याः 199/XVIII(3)/2017-02(45)2017
देहरादूनः दिनांकः 23 मई, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) की धारा 44 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना के भूमि अधिग्रहण से प्रभावित कुटम्बों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिए **गढ़वाल मण्डल के आयुक्त को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के रूप में** नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– एतद्द्वारा नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त ऋषिकेश–कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना की विरचना का अधीक्षण करने और उक्त परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभा और शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका के परामर्श से कार्यान्वयन के पश्चात् सामाजिक सम्परीक्षा के लिये उत्तरदायी होगा।

हरबंस सिंह चुघ
प्रभारी सचिव।

संख्या– 199 /XVIII(3)/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
4. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि0, ऋषिकेश।
9. जिलाधिकारी, चमोली।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को मुद्रित कराकर 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इन्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0पी0 जोशी)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of **"the Constitution of India"**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 199/XVIII(3) dated 23 for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
RAJASWA ANUBHAG
No. 199 /XVIII(III)/2017-02(45)/2017
DEHRADUN: DATED: 23 May, 2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by section 44 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No.30 of 2013), the Governor is pleased to appoint Commissioner, Garhwal region for Rishikesh-Karnprayag New Broad Gauge Rail Line Project Rehabilitation and Resettlement to the concerning region commissioner for the Rehabilitation and Resettlement of the affected families.

2- Hereby appointed Commissioner for Rehabilitation and Resettlement shall be responsible for the appropriate implementation and to superintendent of monitoring for Rishikesh-Karnprayag New Broad Gauge Rail Line Project and shall also be responsible of social audit after the implementation from the advice of Gram Sabha in Rural areas and Nagar Palika in the Urban areas.

By order,

(Harbans Singh Chugh)
Secretary In-charge